RMSC MEDICAL SERVICES CORPORATION
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in
CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2021-22 / 209 दिनांक : 18-05-2021

कार्यालय आदेश

M/S Rhydburg Pharmaceuticals Ltd., C2 &3, S.I.E.L.(Sara Industrial Estate Limited) Selaqui, Dehradun, Uttarakhand -248197 की निविदा क्रमांक F.02(229)/RMSCL/ PROCUREMENT/DRUG/ NIB-09/ 2017/ 898 दिनांक 31.07.2017 के तहत औषधि Clopidogrel And Aspirin Tablets (Clopidogrel 75 Mg And Aspirin 75 Mg) [549] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 667 दिनांक 14.05.2019 जारी किया गया था।

उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के बैच संख्या T9060158, T9060155 M/D- 06/2019, E/D- 05/2021 को मानक कोटि का घोषित किया गया। बैच संख्या T9060158, T9060155 M/D 06/2019, E/D 05/2021 के औषधि नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर (बैच संख्या T9060158) एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी, कोटा (बैच संख्या T9060155) द्वारा वैधानिक नमूना लिया जाकर गुणवत्ता जांच हेतु राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर को भेजा गया। जिसमें औषधि के उक्त बैचों को राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा Sample failed with respect to Assay of Aspirin में अवमानक कोटि का घोषित किया गया।

इस संबंध मे निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया। दिनांक 27.01.2021 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई तथा फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality के साथ-साथ Minor Defects की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण डिबारिंग–दिशा निर्देशो के सम्बन्ध में जारी आदेश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/ 952 दिनांक 28.08.2018 के क्लॉज 4.5 (2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/S Rhydburg Pharmaceuticals Ltd., C2 &3, S.I.E.L.(Sara Industrial Estate Limited) Selaqui, Dehradun, Uttarakhand -248197 की औषधि Clopidogrel And Aspirin Tablets (Clopidogrel 75 Mg And Aspirin 75 Mg) [549] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 1½ (एक साल छः महिने) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

आलोक रंजन
आइ.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.